उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

संख्या-19/2016/523/चालीस-2016-27(29)/92(10)

लखनऊ, दिनांक: 17 मई, 2016

विज्ञप्ति

श्री आबिद खान "आबिद रजा खान" पुत्र स्व0 जाहिद हुसैन खॉं, निवासी- मलूकपुर, लाल मस्जिद, बरेली को विज्ञप्ति संख्या-20/2015/सी0एम0-18/चालीस-2015-27(29)/92, दिनांक 20-5-2015 द्वारा एक वर्ष के लिए राज्य एकीकरण परिषद, उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष नामित किया गया था। उक्त विज्ञप्ति दिनांक 20-5-2015 के क्रम में श्री आबिद खान "आबिद रजा खान" उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल दिनांक 20 मई, 2016 से अग्रेतर एक वर्ष बढाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अशोक कुमार)

सचिव।

संख्या-19/2016/523 (1)/चालीस-2016-27(29)/92(10),तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के पत्र संख्या-862/चालीस-2015-27(29)/92-(10) , दिनांक 23 जुलाई, 2015 के क्रम में।

3- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/वित्त/गोपन, उ0प्र0 शासन।

4- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन को राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के पत्र संख्या-861/चालीस-2015-27(29)/92-(10) , दिनांक 23 जुलाई, 2015 के क्रम में।

5- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

8- श्री आबिद खान "आबिद रजा खान" पुत्र स्व0 जाहिद हुसैन खॉं, निवासी- मलूकपुर, लाल मस्जिद, बरेली ।

9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10- मा0 मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री जी/ मा0 मंत्री-गण के सूचनार्थ।

11- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन/अनुभाग अधिकारी, शिक्षा (लेखा प्रकोष्ठ)।

12- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

13- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

14- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करने का कष्ट करें।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।